

पश्चमी घाट पर कस्तूरीरंगन समति

प्रलिमिस के लिये:

कस्तूरीरंगन समति, प्रयावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

मेन्स के लिये:

कस्तूरीरंगन समति की रपोर्ट की प्रमुख सफिरशिं और इसके वरिध के कारण


चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा केंद्र सरकार को सूचति किया गया है कि वह पश्चमी घाट पर गठति [कस्तूरीरंगन समति](#) (Kasturirangan Committee report) की रपोर्ट के पक्ष में नहीं है।

- कस्तूरीरंगन समति की रपोर्ट ने पश्चमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37 प्रतशित को [पारस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र](#) (Eco-Sensitive Area- ESA) घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।
- कर्नाटक सरकार की राय है कि पश्चमी घाट को ESA घोषित करने से इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रमुख बातें

- पारस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के बारे में:**
 - यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थिति क्षेत्र होता है।
 - [प्रयावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#) के तहत प्रयावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) द्वारा ESAs को अधिसूचित किया जाता है।
 - इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को वनियमिति करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों के संवेदनशील पारस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
- कस्तूरीरंगन समति की रपोर्ट की सफिरशिं के बारे में:**
 - शामलि क्षेत्र:** कस्तूरीरंगन समति की रपोर्ट में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को प्रयावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है।
 - इसमें से 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कर्नाटक राज्य में आता है, जिसमें 1,576 गाँव शामिल हैं।
 - इस क्षेत्र में शामलि ज़्यादातर स्थलों की सीमा, कानूनी रूप से सीमांकलि राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और वन प्रभागों की सीमाएँ हैं इसलिये उन्हें पहले से ही उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।
 - वांछति और प्रतिविधिति गतिविधियों:** रपोर्ट में खनन, उत्खनन, रेड कैटेगरी उद्योगों (Red Category Industries) की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिविधि लगाने की सफिरशि की गई है।
 - यह भी कहा गया है कि इन गतिविधियों के लिये अनुमति दिये जाने से पहले जंगल और वन्यजीवों पर ढाँचागत परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहयि।
 - यूनेस्को ट्रैग:** रपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पश्चमी घाट के [यूनेस्को हेरिटेज ट्रैग](#) (UNESCO Heritage tag) में शामलि होने से इसकी विशाल प्राकृतिक संपदा को वैश्विक और घरेलू स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है।
 - 39 स्थल पश्चमी घाट में स्थिति हैं जो (केरल 19), कर्नाटक (10), तमिलनाडु (6) और महाराष्ट्र (4) राज्यों में वसितारति हैं।
 - राज्य सरकारों की भूमिका:** राज्य सरकारों को इस विकास को देखना चाहयि और क्षेत्र के संसाधनों और अवसरों के संरक्षण, बचाव और महत्व के लिये एक योजना तैयार करनी चाहयि।



//



■ कर्नाटक सरकार का वरिधि:

- वकिसात्मक प्रगति में बाधा: कर्नाटक में व्यापक वन क्षेत्र है और सरकार ने पश्चमी घाट की जैव विविधता की रक्षा का ध्यान रखा है।
 - राज्य सरकार का मानना है करिपोर्ट के लागू होने से क्षेत्र में वकिस गतिविधियाँ ठप हो जाएँगी।
- जन-केंद्रित वकिस मॉडल: उपग्रह आधारित चतिरों के आधार पर कस्तुरीरंगन रपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है।
 - क्षेत्र के लोगों ने कृषि और बागवानी गतिविधियों को प्र्यावरण अनुकूल तरीके से अपनाया है।
 - वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्र्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

आगे की राह:

- नविरक दृष्टिकोण: जलवायु परविरतन को ध्यान में रखते हुए जो सभी लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा और देश की अरथव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकता है ऐसे संवेदनशील पारस्थितिक तंत्र का संरक्षण विकास का एक अवश्यक हिस्सा होगा।
 - यह पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार के लिये धन/संसाधनों को खर्च करने की तुलना में आपदाओं की संभावना वाली स्थिति की तुलना में कम खर्चीला होगा।
 - इस प्रकार कार्यान्वयन में और देरी से देश के सबसे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन का क्षरण ही होगा।
- सभी हतिधारकों के साथ जु़ड़ाव: वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक उचित विश्लेषण के बाद संबंधित चितिओं को दूर करने के लिये विभिन्न हतिधारकों के बीच आम सहमतिकी तत्काल आवश्यकता है।
 - वन भूमि, उत्पादों और सेवाओं पर खतरों तथा मांगों के बारे में समग्र दृष्टिकोण, शामिल अधिकारियों के लिये सपष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों के साथ इनसे नपिटने हेतु रणनीति तैयार होनी चाहिये।

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस

